उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 1003 – काविनी एवं वे०प्र०–29 / पाकालि / 11 – 9 काविनी / 87 दिनांक 19 नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– उ०प्र० शासन की अनुमन्यता में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत महिला सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्यता की संशोधित / अतिरिक्त व्यवस्थायें लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं० जी–2–176/दस–2011–216–79 दिनांक 11.04.2011 अंगीकृत किया जाना।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.10.2011 को सम्पन्न सत्तासी (41)/11 बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन मे शासनादेश सं० जी–2–176/दस–2011–216–79 दिनांक 11.04.2011 अंगीकृत किया जाता है। तदनुसार बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० 1743–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–09 काविनी/87 दिनांक 30.12.2009 में निहित वर्तमान प्रभावी प्राविधानों में निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्थायें/संशोधन प्राविधानित किये जाते हैं –

I- सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा।

II- बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलेण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।

III- बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिये नहीं दिया जायेगा।

IV- बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम–से–कम हो।

V- बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।

2. उपरोक्त के फलस्वरूप यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 30.12.2009 के कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने के पश्चात् बाल्य देखभाल अवकाश के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो सम्बन्धित कर्मचारी के अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में परिवर्तित कर स्वीकृत/समायोजित किया जा सकेगा।

3. कार्यालय ज्ञाप सं० 1743–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–09 काविनी/87 दिनांक 30.12.2009 की व्यवस्थायें/प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं० 1003 (I)– काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।

(क्रमशः.....2)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 1743 -कार्मिक एवं के०प्र०-29 / पाकालि / 08-09-कार्मिक / 87 दिनांक 30 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- **उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत महिला सेवकों हेतु प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि, बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।**

कारपोरेशनादेश संख्या 350-कार्मिक / पाकालि-29 / 2000-9-कार्मिक / 87 दिनांक 17 मई, 2000 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत स्थायी / अस्थायी महिला सेवकों को प्रसवावस्था के मामलों में अनुमन्य प्रसूति अवकाश की अवधि ... वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2-4 के सहायक नियम-153(1) के अधीन एवं उपरोक्त आदेश दिनांक 17 मई, 2000 में उल्लिखित अन्य व्यवस्थाओं के प्रतिबन्धाधीन, 135 दिन से बढ़ाकर, अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से, एतद्द्वारा, अधिकतम 180 दिन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में किसी भी दशा में, जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी ... से अधिक नहीं स्वीकृत किया जाएगा। प्रसूति अवकाश की यह व्यवस्था गोद ली सन्तान के मामलों में भी लागू होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन की अनुरूपता में, कारपोरेशन में भी, महिला सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एवं दत्तक ग्रहण अवकाश की अनुमन्यता भी निम्नवत प्रदान की जाती है :-

बाल्य देखभाल अवकाश

कारपोरेशन की महिला सेवकों, चाहे वह स्थायी हों अथवा अस्थायी, विशिष्ट परिस्थितियों-यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु सन्तान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए अनुमन्य होगी :-

... बाल्य देखभाल अवकाश तभी अनुमन्य होगा, जब सम्बन्धित महिला कर्मचारी के लेखे में उपार्जित अवकाश अवशेष न हो।

... बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकेगा। कोई कर्मचारी बिना पूर्व ... के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

... बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत किया जाएगा।

(क्रमशः.......2)

घ) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

ङ•) बाल्य देखभाल अवकाश गोद ली गई सन्तान के मामले में भी लागू होगा।

– **दत्तक ग्रहण अवकाश .**

ऐसे महिला सेवक जिनके दो से कम बच्चे जीवित हों एवं जिनके द्वारा 01 वर्ष की आयु तक का बच्चा गोद लिया गया हो को, सामान्य माताओं को प्रदत्त प्रसूति अवकाश की भांति 180 दिन के दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) की सुविधा अनुमन्य की जा सकती है।

महिला सेवक को उक्त अवकाश अवधि के दौरान वह पूर्ण वेतन देय होगा जो वह अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हों।

दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है।

दत्तक ग्रहण अवकाश के निरंतरता में महिला सेवकों को, यदि आवेदन किया जाता है तो कानूनी तौर पर गोद लिये जाने के दिनांक को बच्चे की आयु घटाते हुए अधिकतम 01 वर्ष की अवधि तक का उसे देय एवं अनुमन्य अन्य अवकाश, बिना दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि को जोड़े, निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किया जा सकेगा :–

) यदि किसी महिला राजकीय सेवक को गोद लेने के समय दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो यह अवकाश उसे स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

) उपरोक्त 01 वर्ष तक की अवधि का आगणन [illegible] उदाहरण के अनुसार होगा :–

उदाहरण –

– दत्तक ग्रहण अवकाश पर बच्चे की आयु छः माह से कम होने पर 01 वर्ष तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

बच्चे की आयु छः माह या अधिक परन्तु नौ माह से कम होने पर छः माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

– बच्चे की आयु नौ माह या अधिक परन्तु एक वर्ष माह से कम होने पर तीन माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

दत्तक ग्रहण अवकाश छुट्टी के लेखे के नामे नहीं लिखा जायेगा।

उपर्युक्त आदेश दिनांक 30.12.09 से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(रणवीर सिंह)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

(क्रमशः.......3)